फर्द अहकाम

## अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

जगदीश प्रसाद बनाम भगली वगै0

किस्म मुकदमा दावा मु0नं0 176/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.08.2023 | पत्रावली पेश । वकील वादी उपस्थित आए। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/732 दिनांक 27.04.2023 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पेश किए जा चुके है। वकील वादी की बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। वकील वादी द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया । बहस का मनन किया गया। तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/732 दिनांक 27.04.2023 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग होंगे। तहसीलदार सिकराय मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | |